रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 538] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 1984/कार्तिक 15, 1906
No. 538] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 1984/KARTIKA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1984

का. आ. 823 (अ) :—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्री एम. वेंकटरमानी को 6 नवंबर, 1984 से अगले आदेशों तक सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं. एस./11011/2/84-उत्प्रवास-2]
अनिल बोर्दिया, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1984

S.O. 823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) the Central Government hereby appoints Shri S. Venkataramani, Director General, Employment and Training to be competent authority with effect from 6th November, 1984 till further orders.

[No. S-11011|2|84-EMIG.II]
ANIL BORDIA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984